राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 49 / 2024

अनिल कुमार मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शक्ति एवं ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. चेयरमेन सह प्रबंध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति भवन, जयपुर।
3. शासन सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति भवन, जयपुर।
4. अधिशाषी अभियंता (O&M), जयपुर डिस्कोम, अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 26.02.2024

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री उमाशंकर पाण्डेय, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री सर्वेश जैन, विभागीय प्रतिनिधि

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने निलम्बन आदेश दिनांक 20.12.2023 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है एवं प्रार्थना की है कि उक्त आलोच्य आदेश दिनांक 20.12.2023 जिसके द्वारा अपीलार्थी को निलम्बित किया गया था, उसे निरस्त किया जाए एवं यह भी प्रार्थना की गई कि अपीलार्थी को सेवा में बहाल किया जाए।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से आदेश दिनांक 29.12.2023 की प्रति पेश की गयी। प्रत्यर्थी विभाग की ओर अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को उक्त आदेश दिनांक 29.12.2023 के जरिये सेवा में बहाल कर दिया गया है।
3. चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष अपीलार्थी को प्राप्त हो चुका है। ऐसे में यह अपील निष्फल हो जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)